उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम-संरचना

अध्यादेश एवं रूपरेखा

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के अनुरूप)

शैक्षणिक सत्र 2026-2027 से प्रवृत्त

पारिभाषिक संकेताक्षर

1. DSCC- DISCIPLINE SPECIFIC CORE COURSE

   (स्वशास्त्र सम्बद्ध मुख्य विषय)

2. DSE- DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVECOURSE

   (स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक विषय)

3 GE- GENERIC ELECTIVE

   (सामान्य ऐच्छिक विषय)

4. AEC- ABILITY ENHANCEMENT COURSE

   (क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम)

5. SEC- SKILL ENHANCEMENT COURSE

   (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम)

6. VAC- VALUE ADDED COURSE

   (मूल्य योजन पाठ्यक्रम)

7. IAPC-Internship/Apprenticeship/Project/Community Outreach

   (प्रशिक्षण कार्यक्रम/ शिक्षुता प्रशिक्षण/ परियोजना कार्य/ सामुदायिक सेवा गतिविधियाँ(IAPC) अथवा क्षेत्र आधारित पाठ्यक्रम)

पाठ्यक्रम संरचना एवं सामान्य निर्देश

साधारण नियम

1. विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के द्वारा निर्मित नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में संबन्धित विभागाध्यक्ष/प्राचार्य /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश प्रदान किए जाएगे।
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्रवेश संभव नहीं होगा।
3. किसी पाठ्यक्रम में अध्यापन के लिए शिक्षकों की उपलब्धता,प्रयोगशालाओं/ कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश के लिए सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
4. आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के नियम मान्य होंगे।
5. शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा विहित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

स्नातक- शास्त्री (बी.ए.)
शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)
स्नातकोत्तर (एम.ए.)
प्रमाणपत्र
डिप्लोमा
स्नातकोत्तर डिप्लोमा
विद्यावारिधि

<u>मुख्य एवं ऐच्छिक विषय (DSCC, DSE, GE)</u>

1. प्रथम सत्र में प्रवेश के समय विद्यार्थी द्वारा विषयों के चयन हेतु सर्वप्रथम एक संकाय का चुनाव करना होगा।
2. संकाय के अंतर्गत मुख्य विषय का चयन विहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
3. विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषयों के चयन की सुविधा होगी।
4. बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर उसके द्वारा लिए गए मुख्य शास्त्रीय विषयों के अतिरिक्त एक सामान्य ऐच्छिक (GE) विषय लेना आवश्यक होगा।
5. सामान्य ऐच्छिक (GE) विषय का चयन विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों के अनुरूप किया जाएगा।
6. DSCC, DSE, GE के पत्र 4 क्रेडिट के होंगे।
7. उपलब्ध विषयों की सूची परिशिष्ट- 01 पर द्रष्टव्य है।

<u>क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC)</u>

1. क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम एक ऐसा भाषा आधारित पाठ्यक्रम है, जो अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि की ओर ले जाते हैं।
2. विद्यार्थी को स्नातक स्तर पर प्रारम्भिक दो वर्षो के 04 क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करना आवश्यक होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सत्र में 02 क्रेडिट्स का होगा।

3. क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा का चयन विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में उपलब्ध समाधनों के अनुरूप किया जाएगा।
4. उपलब्ध विषयों की सूची परिशिष्ट 01 पर द्रष्टव्य है।

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC)

1. कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम समस्त विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम है। इसका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है।
2. विद्यार्थी को स्नातक स्तर पर प्रारम्भिक तीन वर्षोमें 06 क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करना आवश्यक होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सत्र में 02 क्रेडिट्स का होगा।
3. उपलब्ध विषयों की सूची परिशिष्ट 01 पर द्रष्टव्य है।

मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC)

1. मूल्य योजन पाठ्यक्रम मूल्य आधारित पाठ्यक्रम है। इसका उद्देश्य छात्रों में नैतिकता, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, शारीरिक शिक्षा और ऐसे समान मूल्यों को विकसित करने के लिए है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेंगे।
2. मूल्य योजन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय ज्ञान परम्परा का ज्ञान कराने हेतु वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, भारतीय दर्शन तथा प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था आदि विषयों को पाठ्यक्रम में समाहित किया जाएगा।
3. मूल्य योजन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्नातक द्वितीय सत्र में पर्यावरणीय अध्ययन का अध्ययन आवश्यक होगा।
4. विद्यार्थी को स्नातक स्तर पर प्रारम्भिक दो वर्षों में 04 मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना आवश्यक होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सत्र में 02 क्रेडिट्स का होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/ शिक्षुता प्रशिक्षण/ परियोजना कार्य/ सामुदायिक सेवा गतिविधियाँ (IAPC/Fieldwork)

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम/ शिक्षुता प्रशिक्षण/ परियोजना कार्य/ सामुदायिक सेवा गतिविधियाँ (IAPC) अथवा क्षेत्र-आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए है।
2. विद्यार्थी को स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष के प्रत्येक सत्र में 04 क्रेडिट्स का IAPC अथवा क्षेत्र आधारित पाठ्यक्रम पूर्ण करना आवश्यक होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सत्र में 04 क्रेडिट्स का होगा।
3. संबन्धित विभाग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण के समय IAPC अथवा क्षेत्र आधारित पाठ्यक्रम हेतु आवश्यकतानुसार नियम निर्धारित किए जाएंगे।
4. IAPC अथवा क्षेत्र आधारित पाठ्यक्रम को निष्पक्ष एवं संतुलित बनाए जाने के लिए विभाग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक IAPC अथवा क्षेत्र आधारित कार्य की प्रगति एवं निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे। कार्य पूर्ण होने पर प्रस्तुतीकरण के पश्चात मूल्यांकन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा विहित नियमानुसार की जाएगी।

शोध परियोजना

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवे से ग्यारहवे सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तृतीय वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में बृहद शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/ इंटर्नशिप/ सर्वे-वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
2. तृतीय वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय पर एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठ वर्ष के मुख्य विषय से संबन्धित विषय पर शोध परियोजना करनी होगी।
3. शोध परियोजना एक शिक्षक पर्यवेक्षक के निर्देशन में की जाएगी, आवश्यकतानुसार एक सह पर्यवेक्षक को किसी उद्योग/कंपनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान/ विश्वविद्यालय से लिया जा सकता है।
4. विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में शोध पर्यवेक्षक तथा विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जाएगा। शोध परियोजना का मूल्यांकन शोध पर्यवेक्षक तथा विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

नोट:

1. 04 क्रेडिट के पत्रों का पाठ्यक्रम पांच यूनिट तथा 02 क्रेडिट के पत्रों का पाठ्यक्रम दो यूनिट में विभाजित होगा।

2. पाठ्यक्रम निर्मित करते समय Programme Outcome (POs) तथा Course Outcome (COs) का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

चार वर्षीय स्नातक (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम-संरचना

प्रवेश अर्हता- 12वीं /उत्तरमध्यमा / समकक्ष उत्तीर्ण

कक्षा	सत्र	पत्र	पाठ्यक्रम	क्रेडिट
स्नातक/ शास्त्री प्रथम वर्ष	प्रथम	DSCC 1	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 2	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 1	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		GE 1	स्वशास्त्रेतर चयनित पाठ्यक्रम	4
		SEC 1	कर्मकाण्ड/ वास्तुशास्त्र/ कुण्डली विज्ञान/ योग/ आपदा-प्रबंधन/ संगणक	2
		AEC 1	संस्कृत/ हिन्दी/ अंग्रेजी/ नेपाली/ गढ़वाली/ कुमाऊँनी/ जौनसारी	2
		VAC 1	भारतीय ज्ञान परम्परा	2
			सत्रार्ध का योग	22
	द्वितीय	DSCC 3	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 4	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 2	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		GE 2	स्वशास्त्रेतर चयनित पाठ्यक्रम	4
		SEC 2	Data Science (संगणक)	2
		AEC 2	संस्कृत/ हिन्दी/ अंग्रेजी/ नेपाली/ गढ़वाली/ कुमाऊँनी/ जौनसारी	2
		VAC 2	पर्यावरणीय अध्ययन	2
			सत्रार्ध का योग	22
			समग्र योग	44
पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर देय उपाधि			स्नातक/ शास्त्री (बी.ए.) प्रथम वर्ष/ प्रमाणपत्र	

चार वर्षीय स्नातक (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम-संरचना

प्रवेश अर्हता- स्नातक/ शास्त्री/ बी.ए./ समकक्ष प्रथम वर्ष/ प्रमाणपत्र उत्तीर्ण

कक्षा	सत्र	पत्र	पाठ्यक्रम	क्रेडिट
स्नातक/ शास्त्री द्वितीय वर्ष	तृतीय	DSCC 5	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 6	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 3	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		GE 3	स्वशास्त्रेतर चयनित पाठ्यक्रम	4
		SEC 3	कर्मकाण्ड/ वास्तुशास्त्र/ कुण्डली विज्ञान/ योग/ आपदा-प्रबंधन/ संगणक	2
		AEC 3	संस्कृत/ हिन्दी/ अंग्रेजी/ नेपाली/ गढ़वाली/ कुमाऊँनी/ जौनसारी	2
		VAC 3	भारतीय ज्ञान परम्परा	2
			सत्रार्ध का योग	22
	चतुर्थ	DSCC 7	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 8	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 4	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		GE 4	स्वशास्त्रेतर चयनित पाठ्यक्रम	4
		SEC 4	कर्मकाण्ड/ वास्तुशास्त्र/ कुण्डली विज्ञान/ योग/ आपदा-प्रबंधन/ संगणक	2
		AEC 4	संस्कृत/ हिन्दी/ अंग्रेजी/ नेपाली/ गढ़वाली/ कुमाऊँनी/ जौनसारी	2
		VAC 4	भारतीय ज्ञान परम्परा	2
			सत्रार्ध का योग	22
			समग्र योग	44
पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर देय उपाधि			स्नातक/शास्त्री (बी.ए.) द्वितीय वर्ष/ डिप्लोमा	

चार वर्षीय स्नातक (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम-संरचना

प्रवेश अर्हता- स्नातक/ शास्त्री/ बी.ए./ समकक्ष द्वितीय वर्ष/ डिप्लोमा उत्तीर्ण

कक्षा	सत्र	पत्र	पाठ्यक्रम	क्रेडिट
स्नातक/ शास्त्री तृतीय वर्ष	पंचम	DSCC 9	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 10	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 5	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		GE 5	स्वशास्त्रेतर चयनित पाठ्यक्रम	4
		SEC 5	कर्मकाण्ड/ वास्तुशास्त्र/ कुण्डली विज्ञान/ योग/ आपदा-प्रबंधन/ संगणक	2
		IAPC 1	Internship/ Apprenticeship/ Project/ Community Outreach	4
			सत्रार्ध का योग	22
	षष्ठ	DSCC 11	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 12	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 6	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		GE 6	स्वशास्त्रेतर चयनित पाठ्यक्रम	4
		SEC 6	कर्मकाण्ड/ वास्तुशास्त्र/ कुण्डली विज्ञान/ योग/ आपदा-प्रबंधन/ संगणक	2
		IAPC 2	Internship/ Apprenticeship/ Project/ Community Outreach	4
			सत्रार्ध का योग	22
			समग्र योग	44
पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर देय उपाधि			स्नातक/ शास्त्री (बी.ए.) उपाधि	

चार वर्षीय स्नातक (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम-संरचना

प्रवेश अर्हता- स्नातक/ शास्त्री/ बी.ए./ समकक्ष उत्तीर्ण

कक्षा	सत्र	पत्र	पाठ्यक्रम	क्रेडिट
स्नातक/ शास्त्री चतुर्थ वर्ष	सप्तम	DSCC 13	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 14	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 7	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		DSE 8	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		IAPC 3	Research Project/ Dissertation	6
			सत्रार्ध का योग	22
	अष्टम	DSCC 15	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 16	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 9	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		DSE 10	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		IAPC 4	Research Project/ Dissertation	6
			सत्रार्ध का योग	22
			समग्र योग	44

पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर देय उपाधि	स्नातक/शास्त्री (बी.ए.) {शोध के साथ} उपाधि

एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम-संरचना

प्रवेश अर्हता- चार वर्षीय स्नातक/ शास्त्री/ समकक्ष {शोध के साथ} उत्तीर्ण

कक्षा	सत्र	पत्र	पाठ्यक्रम	क्रेडिट
स्नातकोत्तर / आचार्य (एम.ए.)	प्रथम	DSCC 1	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 2	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 1	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		DSE 2	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		IAPC 1	Research Project/ Dissertation	6
			सत्रार्ध का योग	22
	द्वितीय	DSCC 3	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 4	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 3	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		DSE 4	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		IAPC 2	Research Project/ Dissertation	6
			सत्रार्ध का योग	22
			समग्र योग	44
पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर देय उपाधि			स्नातकोत्तर/आचार्य (एम.ए.) उपाधि	

द्वि-वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम-संरचना

प्रवेश अर्हता- त्रिवर्षीय स्नातक/ शास्त्री/ बी.ए./ समकक्ष उत्तीर्ण

कक्षा	सत्र	पत्र	पाठ्यक्रम	क्रेडिट
स्नातकोत्तर/ आचार्य (एम.ए.) प्रथम वर्ष	प्रथम	DSCC 1	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 2	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 1	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		DSE 2	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		IAPC 1	Research Project/ Dissertation	6
			सत्रार्ध का योग	22
	द्वितीय	DSCC 3	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 4	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 3	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		DSE 4	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		IAPC2	Research Project/ Dissertation	6
			सत्रार्ध का योग	22
			समग्र योग	44

पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर देय उपाधि	स्नातकोत्तर/ आचार्य (एम.ए.) प्रथम वर्ष/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपाधि

द्वि-वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम-संरचना

प्रवेश अर्हता- स्नातकोत्तर/ आचार्य (एम.ए.) प्रथम वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

कक्षा	सत्र	पत्र	पाठ्यक्रम	क्रेडिट
स्नातकोत्तर/ आचार्य (एम.ए.) द्वितीय वर्ष	तृतीय	DSCC 5	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 6	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 5	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		DSE 6	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		IAPC 3	Research Project/ Dissertation	6
			सत्रार्ध का योग	22
	चतुर्थ	DSCC 7	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSCC 8	स्वशास्त्रीय मुख्य पाठ्यक्रम	4
		DSE 7	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		DSE 8	स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम	4
		IAPC 4	Research Project/ Dissertation	6
			सत्रार्ध का योग	22
पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर देय उपाधि			द्विवर्षीय स्नातकोत्तर/ आचार्य (एम.ए.) उपाधि	

निर्देश

1. त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों हेतु स्नातक स्तर का चतुर्थ वर्ष स्नातकोत्तर स्तर के प्रथम वर्ष के समतुल्य होगा।
2. चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थी स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह माने जाएंगे।
3. ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी एक विभाग विशेष द्वारा संचालित नहीं होते है, उनको संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक बहुविषयक पाठ्यक्रम निर्माण समिति का गठन किया जाएगा।

उत्तीर्ण प्रतिशत

1. प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्णांक न्यूनतम 33 प्रतिशत अनिवार्य होगा। केवल लघु शोध विषयों (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल) में 40 प्रतिशत अंक लाने आवश्यक होंगे।
2. DSCC/ DSE/ GE के प्रत्येक पत्र (लिखित/ प्रायौगिक) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत आंतरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालयीय परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जाएगी।
3. आन्तरिक-मूल्यांकन के अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा:-

   क. आन्तरिक परीक्षा/कार्य निर्देशन -10 अंक

   ख. विभागीय शास्त्र-परिचर्चा / संगोष्ठी – 05 अंक

   ग. अध्ययन सामग्री का संग्रह एवं प्रबंधन – 05 अंक

   घ. उपस्थिति- 5 अंक

   (75% = 01 अंक, 75.1% से 80% = 02 अंक, 80.1% से 85% = 03 अंक, 85.1% से 90% = 04 अंक, 90.1% से अधिक = 05 अंक देय)

4. AEC/ SEC/ VAC/ IAPC/ Fieldwork इत्यादि के 100 अंकों के पत्रों में उत्तीर्ण होने के लिए 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. किसी भी पत्र के आन्तरिक मूल्यांकन के लिए पृथक् से कोई न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है।
6. किसी भी प्रकार के कृपांक प्रदान नहीं किए जाएंगे।

प्रश्न पत्र (75 अंकों) का प्रारूप

- समय सीमा : 2:00 घण्टा

- प्रश्नपत्र दो भागों (प्रथम व द्वितीय) में विभक्त होगा। प्रथम भाग लघुत्तरात्मक / टिप्पणयात्मक एवं द्वितीय भाग दीर्घोत्तरात्मक / विवरणात्मक होगा।
- प्रथम भाग में सात प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर तथा द्वितीय भाग में से पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
- प्रथम भाग में प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों तथा द्वितीय भाग में प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा।

<u>प्रश्न पत्र (100 अंकों) का प्रारूप</u>

- समय सीमा : 2:00 घण्टा
- प्रश्नपत्र दो भागों (प्रथम व द्वितीय) में विभक्त होगा। प्रथम भाग लघुत्तरात्मक / टिप्पणयात्मक एवं द्वितीय भाग दीर्घोत्तरात्मक / विवरणात्मक होगा।
- प्रथम भाग में सात प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर तथा द्वितीय भाग में पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
- प्रथम भाग में प्रत्येक प्रश्न आठ अंकों तथा द्वितीय भाग में प्रत्येक प्रश्न बीस अंकों का होगा।

<u>क्रेडिट एवं क्रेडिट-निर्धारण</u>

1. सैद्धान्तिक विषय के एक क्रेडिट के लिए प्रति सप्ताह में एक कालांश का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सत्र के 15 सप्ताह में 15 कालांश का शिक्षण कार्य कराना होगा।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम/ शिक्षुता प्रशिक्षण/ परियोजना कार्य/ सामुदायिक सेवा गतिविधियाँ (IAPC) अथवा क्षेत्र आधारित पाठ्यक्रम आदि के एक क्रेडिट के लिए दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सत्र के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रायोगिक/ प्रशिक्षण/ क्षेत्र आधारित कार्य कराना होगा।
3. एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष अध्ययन करने के पश्चात 44 क्रेडिट का प्रयोग कर प्रमाणपत्र उपाधि को प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जाएंगे। यदि वह कुछ वर्षों के पश्चात डिप्लोमा उपाधि प्राप्त करना चाहता है, तो वह अपनी मूल प्रमाणपत्र उपाधि को विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 44 क्रेडिट को रिक्रेडिट (Re-credit) करेगा, जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष में 88 (44+44) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार की व्यवस्था आगे भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा प्रमाणपत्र/

डिप्लोमा प्राप्त नहीं करता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त कर सकता है।

4. यदि कोई विद्यार्थी सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रिक्रेडिट (Re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रिक्रेडिट (Re-credit) किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइन्ट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाएगी-

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत/ अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइन्ट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

विशेष निर्देश

मूल्यांकन तथा परीक्षाफल के सम्वन्ध में नीति-निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर पृथक से किया जाएगा।

परिशिष्ट - 1

(विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित स्नातक विषयों की सूची)

1. <u>स्वशास्त्र सम्बद्ध मुख्य विषय (DSCC)</u>

   शुक्ल यजुर्वेद
   प्राचीन व्याकरण
   नव्य व्याकरण
   फलित ज्योतिष
   सिद्धान्त ज्योतिष
   पुराणेतिहास
   संस्कृत साहित्य
   शांकर वेदान्त

2. <u>स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक विषय (DSE)</u>

   शुक्ल यजुर्वेद
   प्राचीन व्याकरण
   नव्य व्याकरण
   फलित ज्योतिष
   सिद्धान्त ज्योतिष
   पुराणेतिहास
   संस्कृत साहित्य
   शांकर वेदान्त
   आर्ष पाठ्यक्रम

3. <u>सामान्य ऐच्छिक विषय (GE)</u>

   हिन्दी
   अंग्रेजी
   नेपाली
   पर्यावरण विज्ञान
   इतिहास
   राजनीति विज्ञान
   समाजशास्त्र
   अर्थशास्त्र
   गृह विज्ञान
   वैदिक साहित्य
   योग
   शिक्षा शास्त्र

4. <u>क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC)</u>

   संस्कृत भाषा कौशल
   हिन्दी भाषा कौशल

अंग्रेजी भाषा कौशल
गढ़वाली भाषा कौशल
कुमाऊँनी भाषा कौशल
जौनसारी भाषा कौशल

5. कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC)
कर्मकाण्ड
वास्तुशास्त्र
कुण्डली विज्ञान
योग
आपदा-प्रबंधन
संगणक

6. मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC)
भारतीय ज्ञान परम्परा
पर्यावरणीय अध्ययन

....